पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था.–39/2018 (खंड) सो0 1191

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ. प्रतिमा
अपर मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 03/07/2019

विषयः– **बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी वर्गों के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों एवं सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निराकरण के लिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में एक ठोस एवं पारदर्शी पद्धति बनाई गई है । सुलभ प्रसंग के लिए सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या–7527, दिनांक–03.06.2019 की प्रति संलग्न की जा रही है । नियमावली के नियम–2 (ख) के आलोक में विभागों के द्वारा 'जिला स्तर' तथा 'जिला स्तर के ऊपर एवं विभाग स्तर के लिए' उत्तरदायी पदाधिकारी नामित किए गए हैं । क्षेत्रीय स्तर पर सामान्यतः नियमित सरकारी सेवकों के स्थापना से जुड़े कार्यालयों के कार्यालय प्रधान उत्तरदायी पदाधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं ।

2– बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण की यह पूरी प्रणाली ऑनलाईन और वेब आधारित है जिसमें शिकायत आवेदन देने से लेकर उसके निष्पादन तक की सभी जानकारियाँ पोर्टल पर सहज उपलब्ध हैं । इसके कार्यान्वयन के लिए **सेवा समाधान** (http://sevasamadhan.bihar.gov.in) वेब पोर्टल बनाया गया है । इस प्रणाली का कार्यान्वयन दिनांक–26.06.2019 से प्रारम्भ हो गया है तथा इसके अंतर्गत कई शिकायत आवेदन प्राप्त भी हो गए हैं ।

3– अनुरोध है कि अपने जिला में नियमित सरकारी सेवकों के स्थापना से जुड़े कार्यालयों के कार्यालय प्रधान की बैठक आहूत कर इस प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें अवगत कराने की कृपा की जाए । उनसे यह भी अनुरोध किया जाए कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण की दिशा में वे तत्परतापूर्वक नियमानुकूल कार्रवाई करें ताकि इसके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।

विश्वासभाजन

3/7/19

(डॉ. प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\AMD.docx